उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-13
संख्या-11/आई/1253611/23-1309999(099)/162/2025
लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 2026

शुद्धि-पत्र

पं० दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत तहसील/ब्लॉक/ मुख्यालय की 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/ चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्य के अंतर्गत जनपद आजमगढ में एन०एच०-233 से रानीपुर पिपरी मार्ग (तहसील मुख्यालय) के किमी०-1 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु लागत रू0-539.12 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0-200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) का धनावंटन शासनादेश संख्या-1/आई./1220976/001-23-13-2026-ई-2005116,दिनांक 30.01.2026 द्वारा प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ के स्थान पर निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ को कतिपय नियमों एवं शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2- अतः शासनादेश संख्या-1/आई./1220976/001-23-13-2026-ई-2005116, दिनांक 30.01.2026 के प्रस्तर-2 में अंकित जनपद/ खण्ड का नाम - आजमगढ़, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के स्थान पर आजमगढ़, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ पढ़ा/ समझा जाय।

3- शासनादेश संख्या-1/आई./1220976/001-23-13-2026-ई-2005116, दिनांक 30.01.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाय तथा शासनादेश की शेष शर्तें/ प्रतिबंध यथावत रहेंगी।

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)-प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
(6) मुख्य अभियंता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(8) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
(9) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी।
(10) संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश।
(12) राज्य योजना आयोग-1/ 2, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) अधीक्षण अभियंता, नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(14) लोक निर्माण अनुभाग-1/ 6/ 10/12 एवं 14.
(15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
(16) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।